



## राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

8, अरेरा हिल्स भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिशु स्वास्थ्य-पोषण/एन.एच.एम./2017/ 21652

भोपाल, दिनांक 08/09/2017

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
मध्यप्रदेश
2. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,  
मध्यप्रदेश
3. विभागाध्यक्ष, शिशु रोग विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय,  
AIIMS भोपाल, म.प्र.।
4. विभागाध्यक्ष, शिशु रोग विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय,  
इंदौर/जबलपुर/ग्वालियर/रीवा/सागर तथा उज्जैन, म.प्र.

विषय :- महाविद्यालयीन एस.एम.टी.यू/एन.आर.सी. में भर्ती बच्चों के रिकार्ड संधारण हेतु केस रिकार्ड के उपयोग के संबंध में।


\*\*\*\*\*

विषयान्तर्गत लेख है कि प्रदेश के 315 पोषण पुनर्वास केन्द्र, 5 चिकित्सा महाविद्यालयीन एस.एम.टी.यू/एन.आर.सी. तथा AIIMS भोपाल में स्थापित Regional Center of Excellence for SAM Referral and Advanced Treatment Unit में भर्ती गंभीर कुपोषित बच्चों के संपूर्ण रिकार्ड संधारण हेतु केस रिकार्ड बुकलेट का निर्माण किया गया है। अतः अब पृथक-पृथक सैम चार्ट, एन.आर.सी. रजिस्टर, डिस्चार्ज टिकिट फालोअप कार्ड व कई डायग्नोस्टिक जाँच पर्चियों आदि संधारित करने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त सभी दस्तावेजों का समावेश सैम केस रिकार्ड में किया गया है तथा यूनिसेफ के सहयोग से राज्य स्तर से मुद्रित कर प्रत्येक एस.एम.टी.यू व एन.आर.सी. में वर्ष 2017-18 में अनुमानित भर्ती गंभीर कुपोषित बच्चों की वार्षिक संख्या अनुसार वितरण किया गया है। निर्देशित किया जाता है कि:-

- माह सितम्बर 2017 से एस.एम.टी.यू व एन.आर.सी. में भर्ती गंभीर कुपोषित बच्चों का संपूर्ण रिकार्ड संधारण नव-निर्मित केस रिकार्ड में ही किया जाए।
- जिन केन्द्रों में एन.आर.सी. केस रिकार्ड बुकलेट अप्राप्त है, वे तत्काल संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से अपनी आवश्यकता अनुरूप केस रिकार्ड बुकलेट्स प्राप्त करें।
- विदित हो कि प्रशासकीय एवं चिकित्सकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से केस रिकार्ड में चिकित्सक, स्टॉफ नर्स/ए.एन.एम. तथा क्लिनिकल न्यूट्रिनिस्ट/पोषण प्रशिक्षक द्वारा भरे जाने वाले पृष्ठों को पृथक-पृथक रंगों से दर्शाया गया है।
- पीले रंग के पृष्ठ एस.एम.टी.यू/एन.आर.सी. के प्रभारी चिकित्सक, नीले रंग के पृष्ठ स्टॉफ नर्स/ए.एन.एम तथा गुलाबी रंग के पृष्ठ क्लिनिकल न्यूट्रिनिस्ट/पोषण प्रशिक्षक द्वारा दैनिक भरा जाये।
- गंभीर कुपोषित बच्चों के समूचित शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु खेल चिकित्सा एवं संवेदनशीलता को बढ़ावा दिया जाना अत्यावश्यक है अतएव केस रिकार्ड के पृ.क्र.-30 में Play Therapy की जानकारी पोषण प्रशिक्षक/क्लिनिकल न्यूट्रिनिस्ट द्वारा अनिवार्य रूप से प्रतिवेदित की जाये एवं प्रतिदिन न्यूनतम 1 घण्टा बच्चे के साथ विभिन्न आकार, रंग एवं आवाज वाले खिलौनों का उपयोग किया जाये।
- बच्चे के मानक रिकवरी हेतु आवश्यक है कि माँ के व्यक्तिगत पोषण, शिशु एवं बाल आहारपूर्ति संबंधी व्यवहार, व्यक्तिगत एवं परिवेश की स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल के उपयोग, परिवार नियोजन, संतुलित आहार, व स्थानीय उपलब्ध भोज्य पदार्थों से पोष्टिक भोजन बनाने की विधि आदि के बारे में उन्मुख किया जाये। इस हेतु केस रिकार्ड के पृ.क्र.-31 सामूहिक परामर्श एवं व्यक्तिगत परामर्श के लिये मानक परामर्श पुस्तिका के उपयोग संबंधी जानकारी अंकित की गई है जिसका उपयोग किया जाये।
- प्रत्येक भर्ती बच्चे के लिये 1 केस रिकार्ड का उपयोग किया जाये एवं छुट्टी होने पर केस रिकार्ड में ही संलग्न डिस्चार्ज कार्ड को फाड़कर बच्चे के परिजन को दिया जाये। उल्लेखनीय है कि डिस्चार्ज की जानकारी बच्चे के केस रिकार्ड में काउन्टर फाईल के रूप में केन्द्र में ही संधारित रहेगी।
- माह में भर्ती समस्त गंभीर कुपोषित बच्चों की नामजद जानकारी एक साधारण रजिस्टर में संलग्न प्रारूप (परिशिष्ट-1) अनुसार संधारित की जाए।

- माह के अंत में संचयी प्रतिवेदन (Cumulative Report) अनिवार्यतः संलग्न (परिशिष्ट-2) अनुसार राज्य स्तर पर [mpnutritionrch@gmail.com](mailto:mpnutritionrch@gmail.com) पर प्रत्येक माह की 10 तारीख तक पूर्व से प्रचलित MPR एवं QPR के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाये।
- केस रिकार्ड अधीनस्थ कर्मचारियों से पूर्ण कराने की जवाबदेही एन.आर.सी. प्रभारी/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की है।
- औचक निरीक्षण में यदि केस रिकार्ड अपूर्ण एवं रिक्त पाया जाता है तो संबंधित प्रभारी चिकित्सक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

संलग्न – परिशिष्ट 1 व परिशिष्ट-2

  
(डॉ. बी.एन.चौहान)  
संचालक

एन.एच.एम., मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 08/09/2017

पृ.क्रमांक/शिशु स्वास्थ्य-पोषण/एन.एच.एम./2017/ 21653

प्रतिलिपि:- आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, म.प्र.।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, म.प्र.।
4. समस्त जिला कलेक्टर, म.प्र.।
5. पोषण अधिकारी, यूनीसेफ, भोपाल, म.प्र.।
6. समस्त जिला MO NRC, म.प्र.।
7. समस्त जिला लेखा प्रबंधक, एन.एच.एम./एन.एच.एम., म.प्र.।
8. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम./एन.एच.एम., म.प्र.।
9. समस्त विकासखंड चिकित्सा अधिकारी, मध्यप्रदेश-निर्देश की प्रति पोषण पुनर्वास केन्द्र के प्रभारी चिकित्सकों को उपलब्ध कराये।
10. समस्त विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक, म.प्र.।

  
संचालक

एन.एच.एम., मध्यप्रदेश





